न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
151/2019	12.12.2019	08.06.2022

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– राजकुमार यादव पुत्र स्व0 रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी बी–22, गोविन्द मार्ग, दशहरा मैदान के सामने राजापार्क, आदेर्श नगर जयपुर राज0

(वादी)

बनाम

1-- राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादिनी की ओर से – श्री सुरेन्द्र कुमार दाधीच एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 आर.टी.एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद में खाता सं0 256 में ख0नं0 627 रकबा 1.64 हे0 भूमि व खसरा नं0 628 रकबा 1.13 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.77 हे0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजी को इस वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह कि उक्त विवादित आराजियात वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाते दर्ज चली आ रही है , उक्त भूमि के वर्तमान रिकार्ड में वादी का नाम, ऋषि है जो वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में घर के बोलते नाम से ऋषि नाम दर्ज हो गया है। वादी उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है। वादी का अन्य दस्तावेजों में राजकुमार नाम है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में ऋषि नाम होने से वादी को कई प्रकार की परेशानियां हो रही है। वादी का नाम राजस्थान राज–पत्र साधारण साधिकार प्रकाशित में दिनांक 22.01.2017 को ऋषि नाम बदल कर राजकुमार यादव रख लिया है। वादी का नाम पूर्व में भी सभी दस्तावेजों में राजकुमार यादव नाम है। इसलिए वादी को अपनी उक्त भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी हो रही है, इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में ऋषि के स्थान पर राजकुमार यादव नाम दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

यह कि वादी के सभी दस्तावेजों एवं राजस्थान राज पत्र के पत्र से वादी का नाम राजकुमार यादव प्रमाणित है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजकुमार यादव दर्ज कर बतौर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

यह कि वादी का नाम राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक 4 (1) राज0–6/2002/19 जयपुर दिनांक 18.06.2007 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में ऋषि नाम अंकित होने से बैंक व सरकार योजनाओं में परेशानी आती है।

यह कि वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करने के लिए कई मर्तबा निवेदन किया परन्तु अन्तिम बार दिनांक 13.11.2019 को प्रतिवादी से निवेदन किया तो प्रतिवादी साफ इन्कार हो गया, इसलिए वाद कारण बमुकाम कार्यालय तहसील दीगोद में उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद में खाता सं0 256 में ख0नं0 627 रकबा 1.64 हे0 भूमि व खसरा नं0 628 रकबा 1.13 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.77 हे0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ऋषि के स्थान पर राजकुमार यादव दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादिनी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1– नकल फोटा प्रति जमाबन्दी
2– नकल फोटो प्रति राज–पत्र
3– नकल फोटो प्रति वसीयत नामा
4– नकल पेन कार्ड
5– नकल फोटो प्रति आयकर रिटर्न

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में साक्ष्य के रूप में स्वंय का शपथ पत्र एवं बृजसुन्दर यादव पुत्र गेन्दीलाल का प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व मनन किया गया।

वादी के अधिवक्ता द्वारा [illegible] पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं जवाब सरकार से स्पष्ट होता है [illegible] का नाम ऋषि गलत दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से वादी [illegible] राजकुमार यादव राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम बड़ौद तहसील दीगोद में खाता सं0 256 में ख0नं0 627 रकबा 1.64 हे0 भूमि व खसरा नं0 628 रकबा 1.13 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.77 हे0 भूमि में वादी के संयुक्त खातेदारी में वादी का नाम ऋषि के स्थान पर ऋषि उर्फ राजकुमार यादव राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

[illegible] में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– राजकुमार यादव पुत्र स्व0 रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी बी–22, गोविन्द मार्ग, दशहरा मैदान के सामने राजापार्क, आदेर्श नगर जयपुर राज0

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादिनी की ओर से – श्री सुरेन्द्र कुमार दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 आर.टी.एक्ट

मिसल नं 151/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम बडौद तहसील दीगोद में खाता सं0 256 में ख0नं0 627 रकबा 1.64 हे0 भूमि व खसरा नं0 628 रकबा 1.13 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.77 हे0 भूमि में वादी के संयुक्त खातेदारी में वादी का नाम ऋषि के स्थान पर ऋषि उर्फ राजकुमार यादव राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 8.06.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
ववत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	[illegible]	0	0
मिलान	0	0	[illegible]	0	0

सहायक कलेक्टर
दीगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner